फर्द अहकाम

जेठू v/s ग्राम पंचायत कुडली

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान् वकील
उप० पत्रावली वास्ते आदेशानुसार
29/9/25 दिनांक 6/10/25 को पेश हो। TAR जवाब पेश हुआ

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

6/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील अपीलार्थी उप०। वकील अपीलार्थी शेष रेस्पोडेन्ट की तलबी। ट्रैक रिपोर्ट पेश करें। पत्रावली वास्ते ट्रैक रिपोर्ट दिनांक 17/10/25 को पेश हो

17/10/25 पत्रावली पेश हुई है पी०ओ० साहब अन्य राज [illegible] में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30/10/25 को पेश है।

30/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील अपीलान्ट उप० मुताबिक ट्रैक रिपोर्ट रेस्पोडेन्टस सं. ① लगायत ⑥ की सम्मन तामिल हो चुकी है फिर भी उपस्थित नही हुए अप्रार्थीगण सं. ① लगा. ⑥ को आवाज दिलाई गई फिर भी उपस्थित नही हुए इसलिए रेस्पोडेन्टस सं. ① लगा. ⑥ के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है बहस सुनी गई दौराने बहस अपील स्वीकार की जाकर विस्तृत निर्णय पृथक से टंकित किया गया जिसे शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रं० से कम हो दाखिल दफ्तर रहे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बरः– 12/2025 अपील
निर्णय दिनांकः– 30.10.2025
पीठासीन अधिकारीः– राकेश कुमार II (आर०ए०एस०)

1. जेतू पुत्री रघुनाथ जाति गुर्जर निवासी ग्राम हचुकडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान

अपीलान्ट

वनाम

1. ग्राम पंचायत कुडली, पंचायत समिति फागी जिला जयपुर
2. रघुनाथ पुत्र देवा जाति गुर्जर निवासी ग्राम हचुकडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
3. कानी देवी पत्नि गोधू
4. नन्दू देवी पत्नि श्योराज।
5. बरदी देवी पत्नि गौरूराम
6. सायर देवी पत्नि दाना
   समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम हचुकडा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।
7. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 980 दिनांक 25.07.2025 जो ग्राम पंचायत कुडली द्वारा गलत रूप से तस्दीक किया गया जैर दफा 75 भू0राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित विद्वान अधिवक्ताः– श्री प्रेमचन्द शर्मा अधिवक्ता अपीलार्थी
पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–30.10.2025

संक्षेप में वाकियात अपील हाजा इस प्रकार है कि अपीलाधीन आराजी खतौनी संख्या 121 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 471/307 रकबा 0.9357 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम हचुकडा पटवार हल्का डालनिया भू०अभि०नि०क्षेत्र मैंदवास तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित है, जो अपीलाधीन नामान्तकरण से पूर्व रेस्पोडेन्ट सं01 के नाम सम्पूर्ण दर्ज राजस्व रिकार्ड थी, उक्त आराजीयात को लेकर अपीलाट व रेस्पोडेन्ट सं02 ल० 6 के मध्य अधिकारों की घोषणा का वाद मान्य सहायक कलेक्टर महोदय फागी के यहां विचाराधीन था, जिसमें मान्य न्यायालय सहायक कलेक्टर महोदय द्वारा दिनांक 03.02.2025 को अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया था, जिसके बावजूद भी ग्राम पंचायत कुडली

उपखण्ड अधिकारी
फागी

द्वारा अपीलाधीन नामान्तकरण को खोला गया है, इसलिये अपीलान्ट की ओर से यह अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्ट प्रस्तुत है, यह अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 980 दिनांक 25.07.2025 श्रीमान न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारों पर प्रस्तुत है कि :— अपीलार्थी अपील नामांन्तकरण संख्या 980 दिनांक 25.07.2025 जो कि ग्राम पंचायत कुडली तह. फागी द्वारा तस्दीक किया गया है, वह न्याय नियम रिकार्ड व भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विरूद्ध तस्दीक होने से निरस्तनीय है। विद्वान मातहत ग्राम पंचायत कुडली ने उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय रेस्पोडेण्ट संख्या 3 ल० 6 से मिलीभगत करके उनके कहे अनुसार समुचित राजस्व रिकार्ड की जांच किये बिना तथा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना रेस्पोडेन्ट् संख्या 3 ल0 6 के कहे अनुसार अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने में भारी कानूनी त्रुटि की है जो निरस्त किये जाने योग्य है। मातहत् ग्राम पंचातय ने अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करते समय भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों को भली भांति लागू नहीं कर अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करनें में भारी कानूनी त्रुटि की है, चूंकि अपीलाधीन नामान्तकरण में वर्णित आराजीयात को लेकर मान्य सहायक कलेक्टर महोदय फागी के यहां अपीलाट की ओर से हक व अधिकारों की घोषणा का एक वाद उनवानी जेतु बनाम रघुनाथ वगै० विचाराधीन था, जिसमें मान्य न्यायलय द्वारा दिनांक 03.02.2025 को अप्रार्थीगण को राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने हेतु पाबन्द किया गया था, जिसमें राजस्व अधिकारी के मातहत कर्मचारी भी पाबन्द थे, लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने रेस्पोडेन्ट सं0 3 ल० 6 से साजकर मान्य राजस्व न्यायालय द्वारा राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें जाने हेतु पाबन्द किये जाने के बावजूद भी स्थगन के अन्दर उक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत कुडली द्वारा तस्दीक किया गया है, जो कानूनन नियम् विरूद्ध होने से उक्त नामान्तकरण निरस्तनीय है। मान्य न्यायालय सहायक कलेक्टर फागी द्वारा दिनांक 07.07.2025 को रेस्पोडेन्ट के अलावा अन्य सहखातेदार जगदीश, भागुता पिसरान मानाराम द्वारा 151 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर मान्य सहायक कलेक्टर महोदय द्वारा अपने आदेश दिनांक 07. 07.2025 को अन्य सहखातेदार जगदीश, व भागूता के हिस्से तक 151 सी०पी०सी० का प्रार्थना पत्र. स्वीकार किया जाकर, नामान्तकरण व उनके रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने व लोन, के०सी०सी० हेतु शिथिलता प्रदान की गयी थी, जबकि रेस्पोडेन्ट के पक्ष में नामान्तकरण खोलने का मान्य न्यायालय द्वारा कोई आदेश नही द्वारा व राजस्व कर्मचारियों द्वारा संशोधित स्थगन आदेश की जांच किये बिना भू राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरित जाकर मातहत ग्राम दिया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत कुडली पंचायत कुडली ने अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक करने में भारी कानूनी त्रुटि की है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त विधि विरूद्ध तस्दीक किये गये नामान्तकरण संख्या 980 दिनांक 25.07.2025 की जानकारी वरवक्त नामान्तकरण के समय नहीं हो सकी, अपीलाण्ट ने दिनांक 08.08.2025 को

उपखण्ड अधिकारी
फागी

राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी की नकल निकलवायी तो अपीलाण्ट को उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण की जानकारी हुयी, जिसके पश्चात अपीलाण्ट ने अपने विधिक सलाहकार से सलाह प्राप्त कर उक्त आदेश को चुनौती देंने हेतु समस्त प्रतिलिपियों को अधिवक्ता को सुपुर्द कर अपील बिना किसी विलम्ब के अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अपील को सुनने एवं निस्तारण करने का मान्य न्यायालय को श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अपील दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस की तलबी जारी की गई। रेस्पोडेन्टस संख्या 01 लगायत 06 बाद तामिल उपस्थित नहीं हुए। इसलिए रेस्पोडेन्टस सं. 01 लगायत 06 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

रेस्पोडेन्टस सं. 7 पैरोकार सरकार उपस्थित हुए तथा जवाब पेश किया जिसे शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब में बताया कि अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 980 दिनांक 25.07.2025 को निरस्त किया जाकर ग्राम हचुकडा के जमाबंदी के खाता सं. 121 में वादग्रस्त भूमि में दर्ज वर्तमान खातेदारान (1) कानी पत्नी गोधू हिस्सा 1/6 (2) जगदीश पुत्र मानाराम गुर्जर हिस्सा 1/12 (3) नन्दू पत्नी श्योराज हिस्सा 1/6 (4) बरदी देवी पत्नी गौरूराम हि0 1/5 (5) भागुता गुर्जर पुत्र मानाराम गुर्जर हिस्सा 1/12 (6) रघुनाथ पुत्र देवी हिस्सा 1/6 (7) सायर देवी पत्नी दाना हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा. देह के बजाय रघुनाथ पुत्र देवा हिस्सा 5/6, जगदीश गुर्जर पुत्र मानाराम गुर्जर हिस्सा 1/12, भागुता गुर्जर पुत्र मानाराम गुर्जर हिस्सा 1/12 जाति गुर्जर किया जाना उचित है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपने अपील के तथ्यो को दोहराते हुये अपील स्वीकार कर किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया की अपीलार्थी द्वारा उक्त प्रकरण नामान्तकरण सं0 980 दिनांक 25.07.2025 के विरूद्व पेश किया है। अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र मे बताया है कि न्यायालय सहायक कलक्टर फागी का स्थगन आदेश होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत कुडली द्वारा नामान्तकरण सं0 980 दिनांक 25.07.2025 तस्दीक किया गया है जो विधि विरूद्ध है। पत्रावली मे संलग्न दस्तावेज न्यायालय सहायक कलक्टर फागी मे जगदीश, भागुता पुत्रान मानाराम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाकर शिथिलता प्रदान की गई है। शेष स्थगन आदेश यथावत रखा गया है। लेकिन फिर भी स्थगन आदेश होने के बाबजूद भी नामान्तकरण सं0 980 तस्दीक किया गया है। तहसीलदार फागी ने अपने जबाब मे बताया है कि उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 980 दिनांक 25.07.2025 उपहार ग्राम पंचायत कुडली द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर फागी के मु0नं0 11/25 दिनांक 03.02.2025 का स्थगन स्वीकृत किया गया जो निरस्त योग्य होकर रेस्पोडेन्टस सं. 2 के नाम वापस खातेदारी दर्ज होना जायज है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर न्यायालय

२३६

उपखण्ड अधिकारी
फागी

जेतू बनाम ग्राम पंचायत कुडली पंचायत समिति फागी
मु0न0— 12 / 2025 अपील
निर्णय दिनांक— 30.10.2025

सहायक कलक्टर फागी द्वारा दिनांक 07.07.2025 को वर्तमान जमावंदी में दर्ज सहखातेदार जगदीश, भागुता पुत्रान मानाराम गुर्जर को अपने हिस्से का नामान्तकरण दर्ज किये जाने की शिथिलता प्रदान की गई थी जिसका नामान्तकरण सं. 981 दिनांक 28.07.2025 बेचान पत्र द्वारा उक्त खाते में अमल किया गया है। तत्पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.08.2025 को अपीलाधीन नामान्तकरण 980 का स्थगन की जानकारी होने पर पुनःनिर्णय किया गया था। चूंकि अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 980 दिनांक 25.07.2025 उपहार पत्र के पश्चात न्यायालय आदेश से विधिसम्वत नामान्तकरण सं. 981 दिनांक 28.07.2025 बेचान स्वीकृत होने से उक्त अपीलाधीन नामान्तकरण सं. 980 का पुनः निर्णय न्यायोचित नहीं है। नामान्तकरण संख्या 980 दिनांक 25.07.2025 को निरस्त किया जाकर ग्राम हचुकडा के जमावंदी के खाता सं. 121 में वादग्रस्त भूमि में दर्ज वर्तमान खातेदारान (1) कानी पत्नी गोधू हिस्सा 1/6 (2) जगदीश पुत्र मानाराम गुर्जर हिस्सा 1/12 (3) नन्दू पत्नी श्योराज हिस्सा 1/6 (4) बरदी देवी पत्नी गौरूराम हि0 1/5 (5) भागुता गुर्जर पुत्र मानाराम गुर्जर हिस्सा 1/12 (6) रघुनाथ पुत्र देवी हिस्सा 1/6 (7) सायर देवी पत्नी दाना हिस्सा 1/6 जाति गुर्जर सा. देह के वजाय रघुनाथ पुत्र देवा हिस्सा 5/6, जगदीश गुर्जर पुत्र मानाराम गुर्जर हिस्सा 1/12, भागुता गुर्जर पुत्र मानाराम गुर्जर हिस्सा 1/12 जाति गुर्जर किया जाना उचित बताया है। उपरोक्त तथ्यो के प्रकाश मे हम अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

आदेश

अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण सं. 980 दिनांक 25.07.2025 ग्राम पंचायत कुडली को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार फागी को आदेशित किया जाता है कि मुताविक तहसीलदार रिपोर्ट वारिसान की जांच कर विधिसम्वत समुचित सुनवाई करते हुए नामान्तकरण की कार्यवाही कि जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया जाता है।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर